महत्वपूर्ण

संख्याः 1239/79–6–2017

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी, 2018

विषयः–मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम को स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराने एवं केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–म0भो0प्र0/2097/2017–18, दिनांक–01.08.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना को स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराने एवं केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य जारी किये जाने वाले एग्रीमेन्ट (एम0ओ0यू0) का आलेख्य उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय विभाग द्वारा उक्त एम0ओ0यू0 के अनुमोदित/विधीक्षित आलेख की स्वच्छ प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। शासन की ओर से अक्षय–पात्र फाऊडेशन के साथ नियमानुसार एम0ओ0यू0 निष्पादित कराने हेतु निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकारण,उ0प्र0 लखनऊ को अधिकृत किया जाता है। कृपया नियमानुसार एम0ओ0यू0 निष्पादित कराने एवं विषयगत प्रायोजना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–1873/79–6–2016 दिनांक–23.12.2016 एवं तत्संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1239(1)/79–6–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/माध्यमिक शिक्षा/खाद्य एवं रसद/आवास/नगर विकास/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– मण्डलायुक्त, वाराणसी, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद,आजमगढ़ एवं मुरादाबाद।

3– जिलाधिकारी, जनपद– वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, अम्बेडकर नगर एवं इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि अक्षयपात्र फाउन्डेशन के साथ न्याय विभाग द्वारा विधीक्षित एम0ओ0यू0 के आलोक में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

4– जिलाधिकारी जनपद–कन्नौज, गाजियाबाद, इटावा, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ को आशय से प्रेषित कि अपने–अपने जनपदों में भूमि चिन्हाकंन की कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

5– शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।

6– नगर आयुक्त, संबंधित जनपद।

7– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

एम0ओ0यू0–1

मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग (एम0ओ0यू0)

यह मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग आज दिनांक .....201.... को श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा.....(जिनको एतद्पश्चात अनुज्ञापक कहा गया है) प्रथम पक्ष

एवं

अक्षय पात्र फाउन्डेशन जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन पंजीकृत एक न्यास है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच0के0 हिल्स चार्ड रोड, राजाजी नगर, बंगलौर है, द्वारा.....श्री.....(जिसे एतद्पश्चात स्वयं सेवी संस्था कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

अतः दोनों पक्ष निम्न से सहमत हैः–

(1) यह विलेख साक्षी है कि आगे आरक्षित किराये के प्रति फलस्वरूप और स्वयंसेवी संस्था द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर अनुज्ञापक एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड उसकी सीमाओं तथा उस पर स्थित निर्माण व वृक्षों सहित जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे "उक्त भूमि" कहा गया है) स्वयंसेवी संस्था को सन् 20..... के .....माह के.....वें दिन से 10 वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित शर्तों पर हस्तान्तरित किया जाता है :–

(2) यह कि शासनादेश संख्या–1843/79–6–2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 प्रस्तर–9 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या–1112/79–6–2012–1(2)/2012, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने हेतु केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के लिये.....एकड़ भूमि रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) प्रति एकड़ की दर से वार्षिक किराया पर 10 वर्ष के लिये उपलब्ध करायी गयी है, जिसका नवीनीकरण पाँच–पाँच वर्षों के लिये कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञापक द्वारा किया जा सकेगा। इस अनुज्ञप्ति के अधीन दी गयी उक्त भूमि का विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है।

(3) यह कि स्वयंसेवी संस्था को उक्त भूमि लाइसेन्स पर उपलब्ध करायी गयी है। भूमि का स्वामित्व पूर्ववत अनुज्ञापक का ही रहेगा अर्थात स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम संचालन हेतु लाइसेंस अवधि तक भूमि का मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार (Right to Usage) होगा, जिसके लिये स्वयंसेवी संस्था ने एकमुश्त रू0..... अग्रिम रूप में.....के कार्यालय में वार्षिक किराये के तौर पर लाइसेंस की 10 वर्ष की अवधि हेतु जमा कर दिया है।

(4) इस एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने या एम0ओ0यू0 की शर्तों की उल्लंघन की दशा में स्वयंसेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि मूल रूप से अनुज्ञापक को वापस करनी होगी। एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने पर उक्त भूमि पर हुए निर्माण आदि कार्य सहित स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध संसाधनो सहित अनुज्ञापक को वापस करना होगा।

(5) स्वयं सेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन हेतु अनुज्ञापक द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के परिसर के अन्दर स्वयंसेवी संस्था को कोई धार्मिक व जाति आधारित क्रिया–कलापों की अनुमति नहीं होगी।

(6) प्रयोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(7) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(9) प्रयोजना के संबंध में मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग के पत्रांक–2034जी0/41बी0पी0विंग/2016 दिनांक 27.07.2016 एवं ज्येष्ठ वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग के पत्रांक संख्या–158 एस0ए0–3/26एस0ए0–3/16 दिनांक 20.07.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रयोजना का निर्माण स्वयंसेवी संस्था अक्षयपात्र द्वारा किया जायेगा।

(11) प्रायोजना के प्रस्तावित बाट–आउट आइटम्स् यथा–लगेज लिफ्ट, पैसेन्जर लिफ्ट आदि की लागत कोटेशन/बाजार दर के आधार पर है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेगी। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा उनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में सिविल कार्यो की लागत लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर गठित किया गया है। अतः इस मानकीकरण में कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट्स (एस0ओ0आर0) पर विस्तृत आगणन का गठन किया जाय एवं विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होगी।

(14) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 तथा संगत शासनादेशों के अधीन की जायेगी। कास्तकारों की निजी भूमि के भू–अर्जन की दशा में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर, पुनर्वासन तथा पुनर्स्थापन लाभ देय होंगे तथा संगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन की जायेगी। सीलिंग की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम–1960 तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली–1961 के अधीन की जायेगी। भू–दान भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम–1952 सुसंगत नियमावली व शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सरकारी सम्पत्ति से सम्बन्धित नियमावली तथा संगत शासनादेशों के आलोक में की जायेगी। बेसिक शिक्षा

विभाग द्वारा राजस्व–विधि/अधिनियमों से विचलन की दशा में राजस्व विभाग को अलग से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) यह कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का उपरोक्तानुसार विस्तार एवं संचालन किये जाने हेतु सरकार के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि का ही उपयोग किया जायेगा। उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि से संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय धनराशि ही चयनित स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। अलग से कोई और धनराशि उपलब्ध कराये जाने की फिलहाल योजना नहीं है।

(16) स्वयंसेवी संस्था को अनुज्ञप्ति के आधार पर दी गयी भूमि पर केन्द्रीय किचेन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने के उपरान्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि व उस पर निर्मित भवन आदि को किसी को भी स्थायी/अस्थायी रूप से न तो हस्तान्तरित किया जायेगा और न ही किराये पर दिया जायेगा। इस शर्त के उल्लंघन पर दिनांक 15 दिन का नोटिस देकर इस लाइसेन्स/अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त भूमि पर बने निर्माण आदि सहित अन्य संशाधनों को जब्त कर लिया जायेगा और स्वयंसेवी संस्था को कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा।

(17) स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि का उपयोग केवल केन्द्रीय किचेन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पके–पकाये भोजन का निर्माण व वितरित कराने का कार्य किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को भूमि जिस उद्देश्य के लिय उपलब्ध करायी गयी है, उसी उद्देश्य के लिये स्वयंसेवी संस्था द्वारा भूमि व भवन का उपयोग किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत किचेन/भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग नहीं किया जायेगा।

(18) स्वयंसेवी संस्था द्वारा उक्त भूमि पर केन्द्रीय किचेन पर देय सरकारी/अर्द्धसरकारी/नगर शुल्क व कर या अन्य व्यय स्वयं वहन किया जायेगा।

(19) उक्त भूमि की अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के संबंध में अनुज्ञापक द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, वह अन्तिम होगा तथा स्वयंसेवी संस्था पर बाध्यकारी होगा।

(20) उक्त भूमि इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार देय राशि या स्वयंसेवी संस्था द्वारा की गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की वसूली जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर अनुज्ञापक द्वारा भू–राजस्व के बकाये की भाँति स्वयंसेवी संस्था से की जायेगी।

(21) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना को बंद करने अथवा स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन योजना के कार्य से विरत होने की स्थिति में स्वयंसेवी संस्था को उक्त भूमि पर केन्द्रीय किचेन के निर्माण आदि पर हुऐ व्यय के संबंध में अनुज्ञापक से किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(22) स्वयंसेवी संस्था द्वारा केन्द्रीय किचेन से निकलने वाले कूड़ा/निष्प्रयोज्य सामग्री आदि को नियत स्थान पर स्वयं के व्यय/संसाधन से निस्तारित किया जायेगा।

(23) अनुज्ञापक द्वारा इस लाइसेन्स विलेख की शर्तो में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, जो स्वयंसेवी संस्था पर बाध्यकारी होगा।

(24) इस अनुज्ञप्ति विलेख (एम0ओ0यू0) की शर्तो के अधीन अथवा उससे संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

(25) अनुज्ञापक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना लाइसेन्स पर दी गयी भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को स्वयंसेवी संस्था द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।

(26) इस अनुज्ञप्ति विलेख के दोनों पक्षकार इस बात से सहमत है कि उक्त पर इस विलेख में उल्लिखित शर्तो के अधीन स्वयंसेवी संस्था को परमानेन्ट गारण्टी नहीं माना जायेगा।

(27) उक्त अनुबन्ध के सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा इसमें किसी अन्य बिन्दु का समावेश/परिवर्तन किया जाता है तो उस सम्बन्ध में दोनों पक्ष सप्लीमेण्ट्री डीड निष्पादित करेंगे।

और इस विलेख के दोनों पक्षकार करार करते हैं कि :–

(क)–उक्त भूमि को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु अनुज्ञप्ति विलेख (एम0ओ0यू0) के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(ख)–इस विलेख की शर्तो पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

(ग)–किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र..... होगा।

अनुसूची
(भूमि तथा वृक्षों आदि का विवरण एवं चौहद्दी)

इस लाइसेन्स विलेख के साक्ष्य में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री.....(नाम, पदनाम व विभाग का नाम) तथा स्वयंसेवी संस्था की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री.....(नाम, पदनाम व संस्था का नाम) ने ऊपर अंकित तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षरित किया है।

(.....)	(.....)
मोहर	मोहर
श्री राज्यपाल की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	स्वयंसेवी संस्था की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
साक्षीगण	साक्षीगण
(1).....	(1).....
(2).....	(2).....
(नाम व पता)	(नाम व पता)

मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग (एम0ओ0यू0)

यह मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग आज दिनांक .....201... को श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी.....(जिनको एतद्पश्चात "नोडल अधिकारी" कहा गया है) प्रथम पक्ष

एवं

अक्षय पात्र फाउन्डेशन जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन पंजीकृत एक न्यास है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच0के0 हिल्स चार्ड रोड, राजाजी नगर, बंगलौर है, द्वारा अक्षय पात्र फाउण्डेशन के श्री ..... (जिसे एतद्पश्चात स्वयं सेवी संस्था कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि स्वयंसेवी संस्था के अनुरोध पर राज्य सरकार के शासनादेश संख्या–1843/79–6–2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा जनपद.....में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रसंविदाओं के अधीन सहमत हुये है:–

(1) स्वयंसेवी संस्था द्वारा जनपद.....के शहरी एवं शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के आयु 06 वर्ष से 14 वर्ष तक कक्षा 01 से 08 तक के स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक/मेनू दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से शहरी एवं शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मेनू के अनुसार स्कूली बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से आच्छादित ऐसे विद्यालयों/छात्रों का विवरण शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा, जिन्हें स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रतिदिन पौष्टिक, गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) मध्यान्ह भोजन योजना हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा जनपद.....में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में बचत खाता खोला जायेगा।

(4) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्था द्वारा खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाते समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयंसेवी संस्था का भी प्रतिनिधि होगा।

(5) स्वयंसेवी संस्था द्वारा अपने संसाधनों से यदि स्कूली बच्चों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश शासन/प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्ट्स का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन्स वर्ष 2006 के प्रस्तर–3.9.1 एवं उसके उप प्रस्तरों में विहित दिशा निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत भारत सरकार/प्रदेश सरकार की गाइड लाइन्स/निर्देशों का अनुपालन भी स्वयं सेवी संस्था को करना होगा।

(6) अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अन्तर्गत सरकार से प्राप्त धनराशि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का अलग–अलग विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से प्रमाणित कर उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अथवा समाज सेवा के उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत तैयार भोजन को अन्य आपदाग्रस्त व्यक्तियों

Zero

को वितरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अपने स्रोतों एवं संसाधन से स्वयंसेवी संस्था अन्य जरूरतमंद लोगों यथा विधवा, गरीब/असहाय व्यक्तियों को भोजन कराने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(8) स्वयंसेवी संस्था द्वारा तैयार किए गये/उपलब्ध कराये गये भोजन की गुणवत्ता/मेनू में कमी पाये जाने पर स्वयंसेवी संस्था के साथ किया गया अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त करते हुये सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड की धनराशि जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा वसूली जायेगी। योजना के क्रियान्वयन में यदि स्वयंसेवी संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है अथवा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो 15 दिन की लिखित नोटिस देकर स्वयंसेवी संस्था से किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) स्वयंसेवी संस्था को यदि इस अनुबन्ध के अधीन दण्डित किया जाता है, तो उस दण्ड के विरूद्ध स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रत्यावेदन/अपील, प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर गुण–अवगुण के आधार पर परीक्षण करके निर्णय लिया जायेगा। उक्त निर्णय अन्तिम होगा।

(10) केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना, तैयार भोजन को विद्यालयों तक पहुँचाने की व्यवस्था आदि पर होने वाले, स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, समस्त खर्च का वहन स्वयंसेवी संस्था द्वारा अपने संसाधन से किया जायेगा।

(11) स्वयंसेवी संस्था द्वारा भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोईयां/हेल्पर के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा रसोइयॉ/हेल्पर को राज्य सरकार के शासनादेश संख्या–435/79–6–10 दिनांक 24.04.2010 द्वारा निर्धारित मानदेय रू0 1000/– (रूपया एक हजार मात्र) अथवा शासन द्वारा निर्धारित अन्य कोई धनराशि जो तत्समय का भुगतान (जो भी लागू हो) प्रत्येक माह की 01 तारीख को किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

(12) विद्यालयों में पूर्व से संचालित भोजनालय का उपयोग स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन को एकत्रित कर बच्चों को वितरित किये जाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भोजन पकाने के प्रयोजन से किया जा सकेगा। सुदूर क्षेत्रों हेतु उप किचेन की भी व्यवस्था की जा सकेगी।

(13) मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय धनराशि रू0..... ..... ही स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) स्वयं सेवी संस्था द्वारा छात्रों को गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु किये गये व्यय के भुगतान हेतु स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक विद्यालयों के एम0डी0एम0 रजिस्टर में अंकित लाभान्वित छात्रों के आधार पर तैयार बिल कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.....में प्रस्तुत किया जायेगा एवं तैयार बिलों के सत्यापन के आधार पर कोषागार के माध्यम से बिल भुगतान किया जायेगा एवं नियमानुसार कर की कटौती की जायेगी।

(15) उक्त अनुबन्ध के सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा इसमें किसी अन्य बिन्दु का समावेश/परिवर्तन किया जाता है तो उस सम्बन्ध में दोनों पक्ष सप्लीमेण्ट्री डीड निष्पादित करेंगे।

और इस विलेख के दोनों पक्षकार करार करते हैं कि:–

(क) इस एम0ओ0यू0 विलेख के निष्पादन पर होने वाले व्यय का वहन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस विलेख की शर्तों पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात् प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

(ग)–किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र.....होगा।

इस विलेख के साक्ष्य में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नाम) श्री....., (पदनाम)..... एवं स्वयंसेवी संस्था की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री .... ने ऊपर अंकित तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षरित किया है।

(.....)
मोहर
श्री राज्यपाल की ओर से एवं उनके द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी

साक्षीगण

(1).....

(2).....

(नाम व पता)

(.....)
मोहर
स्वयंसेवी संस्था का नाम.....
की ओर से एवं उनके द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी

साक्षीगण

(1).....

(2).....

(नाम व पता)